


फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

1 :- 178/2021

कजोड़ बनाम दीडूराग

आज्ञा र्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
124-	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी को सायंकाल 6 बजे तक बार बार आवाज लगाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आये न ही प्रार्थी की ओर से अन्य कोई पैरवी करने हेतु हाजिर अदालत आये। अतः प्रार्थना पत्र (अस्थायी निषेधाज्ञा) का अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली वाद तकमिल दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)</p>	